
Act 29 of 2003

Keyword(s):
Bhumidar, Transferable Right, Tenure Holder

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिषिद्ध
भाग-1; खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहराउं, वृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई ।
प्रथा 25, 1925 शाक्तिक

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 591/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहराउं, 15 जनवरी, 2004

अभिसूचना

विवेचन

"भारत का सविश्वास" के अनुसार 280 जन जमीन शामिल गहराई ने उत्तराखण्ड विधान सभा
द्वारा प्रतिष्ठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जनीयता एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुसूची एवं उपात्तरण,
आदेश, 2001) (संशोधन) किया गया, 2003 वर्ष के 15-01-04 को अनुमति प्रदान की और वह
उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, संवि, 2003 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अभिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जनीयता विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुसूची एवं उपात्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003,
(जैसा कि सदन की प्रयास संविधान द्वारा प्रतिवेदन तथा विधान सभा द्वारा
यथा संशोधित पारित किया गया हैं)
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2003)
अधिनियम.

उत्तराखण्ड सरकार के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जनीयता विनाश एवं भूमि
व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुमति एवं उपात्तरण आदेश, 2001 में संशोधन के उद्देश्य
से मार्ग गणनाव के बीतने वर्ष में प्रस्तुतिक रूप में अधिनियमितः
उत्तराखंड वित्तारण जान, 15 जुलाई, 2004 ई (पैग्मेन्ट 25, 1925 सफर संख्या)

2. उत्तर प्रदेश सरकारी विविध एवं मूल व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 129-क के बाद एक नयी धारा 128 अन्वेषण जोड़ में जानी—

129-ब—उत्तर प्रदेश सरकारी विविध एवं मूल व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे अगले मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154(4) (क)। 154(4) (ब)। 154(4) (द)। लाभ 154(4) (क) के प्रकरणों के लिए विविध तौर पर की जाती है—

1. विविध ग्रेंज के मूल विविध।

3. मूल अधिनियम की धारा 152 के बाद एक नयी धारा 152-क में जोड़ी—

152-क—संगठन के अधिकारी बनाए गए मूल विविध द्वारा मूल विविध अधिनियम के तहत किया गया है।

2. जब तक बदला गया सभी सीमा जिसे किया गया के लक्ष्य के लिए सरकार कंपनी अनिवार्य

युव अधिनियम की धारा 154 ने जोड़ी—

3. संगठन के अधिकारी पाला मूल विविध उत्तराखंड राज्य की धारा 129 में यूनिभर्सिटी बनाए गए मूल विविध अधिनियम के तहत किया गया है।

4. (क) इस अधिनियम में अंतरिक्ष क्रांति प्रश्नों के अंतर्गत रहे हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का अधिकारिक पत्ता, पत्रों और नागरिकता सत्ताओं से है) वहाँ ही वह दर्जा 29 के अधीन लागू है वह अभी यात्रा का अंत्य जिन्होंने अनुमति के अंतर्गत नागरिकता की जानी है।

(क) इस अधिनियम में अंतरिक्ष क्रांति प्रश्नों के अंतर्गत रहे हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का अधिकारिक पत्ता, पत्रों और नागरिकता सत्ताओं से है) वहाँ ही वह दर्जा 29 के अधीन लागू है वह अभी यात्रा का अंत्य जिन्होंने अनुमति के अंतर्गत नागरिकता की जानी है।

(य) जब तक यह बदला गया सभी सीमा जिसे किया गया के लक्ष्य के लिए सरकार कंपनी अनिवार्य।
(4)(2) यद्यपि 154(3) की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति
द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का अंतर्गत नियंत्रित है—
(क) राज्य सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा कम्पनी भारतीय, 1856 के
पास 617 में परिस्फोटित सरकारी कम्पनी अथवा सरकारी संस्था
अथवा निगम अथवा बॉडी जो किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन
स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा कोई राज्य सरकार के
स्वामित्व का हो एवं उसके द्वारा नियंत्रित हो;
(ख) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रह गया हो—
(1) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि आवंतन भारतीय
के अधीन अधिकारी को पहुँची हो; अथवा
(2) यदि उसकी भूमि एक अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में
रिहेक हो गयी हो;
(ग) कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य सरकार विकास विभाग,
अथवा किसी विकास प्राथमिकता अथवा राज्य अथवा कोई राज्य सरकार
द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार स्थापित किसी अन्य सार्वजनिक
निम्नलिखित से महत्व या दुरुस्ती बनाने के लिए भूमि खरीदी गई है या खरीदना
चाहता है अथवा का—नामया खरीदा या दुरुस्ती खरीदा है;
(घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदा चाहता है जिसके पक्ष
में दायित्व प्राप्त कार्य नहीं है (ले अंतर प्लान) अनुमूलित कर दिया
गया है;
(ङ) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की आयुश्यक नीति के अनुसार
(1) एकेडेमिक आयुश्यक निकाय केंद्र, (2) आयुश्यक केंद्र, (3) आयुश्यक
आयुनाम में भूमि स्वीकृत रूप में;
(च) क्षेत्रीय प्रयोजनाओं के लिए कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा न्यास;
(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन ग्रामीण; अथवा
(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई
भी भूमिहीन व्यक्ति; अथवा
(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण विद्यालय; अथवा
(ञ) उत्तरांचल का वृक्ष से सम्बंधल कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।
(4)(3) यदि 154(3) के प्रतिफलों के अनुसार द्वारा कहा गया कि कोई व्यक्ति,
सोसाइटी अथवा निम्नलिखित निकाय उत्तरांचल में तर्कसंग्रह की पूर्व अनुमानों से बड़ी
आयुश्यक निकायों से मिलाकर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जो वित्तकर
की जाए, भूमि क्या कर लाता है—
(i) खिचड़ा अथवा अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रयोजनों के लिए; यदि वे
उत्तरांचल की स्वास्थ्य तथा जनतंत्र नीति के अनुसार
(ii) किसी अन्य संस्था, अथवा भूमि, दुरुस्ती, मद्यपान, कारक, राज्य, विद्यालय, भूमि के सुनिश्चित
संस्थान गलती, भूमि में सुनिश्चित अथवा दूर-दूर-दूर के लिए यदि
वह राज्य की दूरदरी नीति के अनुसार हो;
(iii) वित्तकर निम्नलिखित पर संस्थान आयुश्यक प्रयोजनों के लिए;
(iv) सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए;
(v) धारा 154 (4)(2) के उपक्रमण (ख) में उल्लिखित बातों से निन्हें कथन करने पर आयोगिक इकाइयों ने शामिल किया एवं ऐसे अन्य प्राथमिकता।

(स) कोई व्यक्ति, सीलसाइट कार्यवाह कम्पनी कृत्ति अथवा आयोगिक प्राथमिकताओँ के लिए ऐसे आयक का शपथ-पत्र प्रस्तुत कार्य करने के पालन कि ऐसी मुख्य का अपने कृत्ति अथवा आयोगिक को देने और ऐसे उपयोगों के लिए खाता जांचेंगे। जो कृत्ति अथवा आयोगिक कर समस्त तथा आयामिक रूप से, जनपद के कार्यकर्ता की पूरी मूल्यता से भूमिका क्रम कर सकता है। यदि शपथ-पत्र में उल्लिखित बातों पर परिवर्तन किया जाता है तो अन्तर्गत शुद्ध हो जायेगा और धारा 167 के परिषाम लागू होगे।

अपेक्षाकृत उपक्रम यह है कि कोई व्यक्ति यदि वह याददार नहीं है तो धारा 154(4)(3) (ि), 154(4)(2)(ि), तथा 154(4)(2)(म) के अधीन मुख्य मिलता स्थानों के क्रम करता है अथवा धारा 154(4)(3) के अधीन प्राप्त अनुदान से मुख्य क्रम करता है, तो धारा 120-वा के अधीन विवरण शास्त्री का मूल्यमान नहीं होगा और ऐसा मूल्यमान निवेश में केवल राष्ट्रीय रूप सम्बन्धित या निष्ठा के कारण, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति दी ही मूल्य क्रम करने के लिए आही होगा।

अपेक्षाकृत उपक्रम यह है कि ऐसा मूल्यमान यदि तथा विशेष संस्थाओं द्वारा गठित करने के लिए अपनी मूल्य मंडल या सुरक्षित कर सकता है तथा धारा 129 के अन्तर्गत मूल्यमान अधिकारों के 59% होने-बाले अपने लागू को नीचे ग्राही कर लेंगा।

अपेक्षाकृत उपक्रम यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो सालार नहीं है, जो बिना अनुमति के धारा 154(4)(2)(ि), 154(4)(2)(ि) के अधीन मुख्य क्रम करता है जबकि धारा 154(4)(3) के अधीन देने भूमि क्रम करने की अनुमान शासन बाध्यता भिन्नाचिकारी जैसी भी स्थिति हो, तो धारा 154(4)(3) के अधीन यदि का शासन जो राष्ट्रीय मूल्य के क्रम से राष्ट्रीय कम कर सकता है, तो वर्तमान की अनुमान के अन्तर विषयों की गणना मूल्य के विक्षेप विवेचन को परीक्षण कर कर दिखाए जा चुका और धारा 129 के अन्तर्गत मूल्यमान अधिकारों के 59% होने-बाले अपने लागू को नीचे ग्राही कर लेंगा।

(5) विरोध

(6) नियमित अथवा उपनियमित को समक्ष जो भारतीय परीक्षण अभिनिवित, 1958 के अधीन निर्माण के गर्भ विनियम के अन्तर्गत अथवा अन्तर्गत मूल्य के अन्तर्गत से सम्बन्धित कोई विवेचन, परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाने पर उसके संदर्भ में यह आता है अथवा उसके प्राप्त विवेचन करने का कारण है कि
इस अन्तर्गत से धारा 154(3) अथवा 154(4)(a) का उल्लम्बन होता है।

(3) किसी राजस्व अधिकारी को प्रारंभ-पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी खोटे से कोई सूचना प्राप्त होने से अथवा अपने पास यह विवरण करने का कारण है कि विषय भूमि का अन्तर्गत किया गया है उससे धारा 152-क, 154(3), 154(4)(2)(b), 154(4)(2)(d) आवश्यक (3), 154(4)(4)(a) के उपर्युक्त का उल्लम्बन हुआ है, तद्वारा अवमा निहित, निहित काल वागनर कपल के अधिकारी, पैसी भी शीर्षित हो, उस विस्तर के अंतर्गत का उल्लम्बन करेगा जिसमें वह भूमि अथवा उसका भाग शीर्षित है, तो वह उस स्थिति से जैसा निहित किया जाय, यह विनिर्धारित करेगा कि क्यों ऐसा अन्तर्गत इस अधिनियम के उपर्युक्त का उल्लम्बन है और ऐसा प्रत्येक अन्तर्गत जो कि यूनान है, जो सम्भव में धारा 167 के परिणाम लागू हो।

(4) (1) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी व्यक्ति के प्रारंभ-पत्र पर या स्वयं किसी कार्यालय का वाद के अभिलेख, उक्त का भेजन पर पारित आदेश की वैधता अथवा ओप्शन का प्राप्त करने के लिए प्रयोजन भाग संबंधी है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह चुनित समय;

(2) इस उपर्युक्त के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर विपरीत प्रभाव डालता है, तदनुसार पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अपरित को यूनान का अवश्य कर दिया जाय।

5. (1) उत्तराचार (उत्तर प्रदेश जमींदारी विभाग एवं मुख्य व्यवस्था अधिनियम, 1950) (वर्धमान व उत्तरप्रदेश आदेश, 2001) (संबंध) आवेदन 2003 एवं अधिनियम निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरस्त के होते हुए भी स्थान, (1) में निरस्त हो जाय भविष्य में उपर्युक्त के अधीन कृत कार्य या कार्यालय इस अधिनियम के अधीन संबंधित यूनान के उपर्युक्त कर सकते हैं और अधीन कृत कार्य या कार्यालय समय जाने देते है। इस अधिनियम में समय सार्वभौम समय पर प्रवर्तित है।

आदेश वे,
बीड़ लाल,
सचिव।
In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2003 (Uttarakhand Adhiniyam Samikhyta 29 of 2003).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on January, 2004.


(AS REPORTED BY SELECT COMMITTEE OF THE HOUSE AND PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

(Uttarakhand Act No. 29 Of 2003)

AN

ACT

To amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) Adaptation and Modification Order, 2001 in its application to the State of Uttarakhand.

Be it enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:

1. (1) This may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole State of Uttarakhand except the areas included and may be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nager Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

2. A new section 129-B shall be added after section 129-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as follows--

129-B—There shall be, for the purposes of section 154(4)(a), 154(4)(e), 154(4)(f) and 154(4)(g) of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as the principal Act) following class of Bhumidhar, i.e., to say--

(1) Bhumidhar of special category.

3. A new section 152-A shall be added after section 152 of the principal Act as follows--

152-A—A bhumidhar with transferable rights may execute power of attorney for transfer of land in favour of persons who are covered under section 171, 172, 174 or 175, and in case no such person is existing, such Power of Attorney may be executed in favour of any other person with the prior permission of the Collector of the district or of the Indian consulate in case of persons living abroad.

(2) A registered Power of Attorney to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such Power of Attorney is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in such Power of Attorney, unless extended by the Collector of the district for reasons to be recorded in writing.

4. Three new sub-sections (3), (4) and (5) shall be added in section 154 of the principal Act as follows--

(3) A bhumidhar with transferable rights may sell his land to any of the categories of tenure holders in the State of Uttarakhand as mentioned in section 129 or such owner of any immovable property in Uttarakhand who has acquired it on or before 12-09-2003 or to any member of the 'family', which means husband, his wife and their children, including step or adopted children, and includes parents, grand parents, brothers and unmarried, widowed, separated and divorced sisters of such tenure holder of the owner, as the case may be.
(4) (1) (a) Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, any person on behalf of his family (which means husband, wife, and minor children), even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttarakhand, may purchase land not exceeding 500 sq. mts. in his lifetime without the permission;

(b) A registered agreement to sell the land executed on or before 12-09-2003 shall be valid if the sale deed on the basis of such agreement is executed on or before 31-03-2004, irrespective of any time limit provided in the agreement, unless extended by the collector of the district for reasons to be recorded in writing;

(4) (2) Nothing in sub-section 154 (3) shall be deemed to prohibit the transfer of land by any person in favour of--

(a) the State Government or Central Government or a Government company, as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 or a Statutory Body or Corporation or Board established by or under a Statute and owned and controlled by the State or Central Government;

(b) a person who has become a non-tenure holder on account of--

(i) acquisition of his land for any public purpose under the Land Acquisition Act, 1894; or

(ii) vestment of his land in the tenants under this Act;

(c) a non-tenure holder who purchases or intends to purchase land for the construction of a house or shop, or purchases a built-up house or shop from the State Housing Board or from a Development Authority or from any other Statutory Corporation set up under any State or Central enactment;

(d) a person who proposes to purchase land from a person in whose favour a layout plan has been approved by the competent authority;

(e) a person or company according to Industrial Policy of Uttarakhand in

(i) Integrated Industrial Development Centre (ii) Industrial Area (iii) Industrial Estates.

(f) a person, society or trust for religious purposes.

(g) a landless labourer of the Uttarakhand; or

(h) a landless person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe of the Uttarakhand; or

(i) a village artisan of the Uttarakhand; or

(j) a landless person carrying on an allied pursuit of the Uttarakhand.

(4) (3) (a) Subject to restrictions contained in section 154, a person, society of corporate body may purchase land for the following purposes, other than those for Agriculture and Horticulture purposes, with the prior sanction of the Government in the State of Uttarakhand as may be prescribed--

(i) Medical or health purposes, if it conforms to the Health and Population Policy of Uttarakhand;

(ii) Hotel, Lodge, Guest House, Restaurant, Bar, Spa, way side amenities or resort, if it conforms to the Tourism Policy of the State;

(iii) Educational purposes, on the recommendations of the Deptt. of Education;

(iv) Cultural purposes;

(v) For industrial purposes in areas other than those mentioned in section 154(4)(2)(e) or for other purposes.

(b) A person, society or company may purchase land with prior sanction of the Collector of the district for Agricultural or Horticultural purposes, as may be prescribed, on furnishing an affidavit to the effect that such land will be used for Agricultural or Horticultural purposes and for uses incidental to and connected with Agriculture or Horticulture only. If the land use of such land as mentioned in the Affidavit is changed, the said transfer shall be void and consequences of section 197 shall follow:
Provided that a person who is a non-tenure holder but purchases land either under section 154(4)(1)(a), 154(4)(2)(e) and 154(4)(2)(f) or under the sanction granted under section 154(4)(3) shall, irrespective of such purchase of land, continue to be a bhumi-dar of special category as provided under section 129-B and such bhumi-dar shall be eligible to purchase land in future only with the permission of the State Government or collector of the district as the case may be.

Provided further that such bhumi-dar may mortgage or hypothecate such land for obtaining loan from banks and financial institutions or deriving any other benefit accruing from his bhumi-dar rights under section 129.

Provided further that a non-tenure holder who has purchased land under section 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) and who has purchased land under section 154(4)(3) under the sanction of Govt. of Collector, as the case may be, shall put land to such use for which the sanction has been granted within a period of two years or further such period as may be allowed by the State Government for reasons to be recorded in writing, to be counted from the date of registration of sale deed and if he fails to do so or diverts the use of the land for which it was sanctioned or transfers the land by way of sale, gift or otherwise except for the purpose for which it was purchased, such transfer shall be void for the purpose of this Act, and consequences of section 167 shall follow—

(5) Where,

(a) the Registrar or Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act, 1908 before whom any document pertaining to transfer of land is presented for registration comes to know or has reason to believe that the transfer of land is in contravention of section 154(3) or 154(4)(3), or

(b) a Revenue Officer either on an application submitted to him or on receipt of any information from any source comes to know or has reason to believe that the land has been transferred in contravention of the provisions of section 152-A, 154(3), 154(4)(2)(e), 154(4)(2)(f) or 154(4)(3), such Sub-Registrar, Registrar or Revenue Officer, as the case may be, shall make a reference to the collector of the district, who shall determine whether the transfer is in contravention of the provision of this Act in the manner prescribed and the consequences of section 167 shall follow in respect of every transfer which is void.

(c) (1) The State Government may, either on the report of a Revenue Officer or on an application by any person or of its own motion, call for the records of any proceedings or case for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as it may think fit.

(2) No order shall be passed under this sub-section which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.


(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done to taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By Order,

Bharosi Lal,
Secretary.
सरकारी गज़ल, उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिषिक्त
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखंड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 अक्टूबर, 2005 ई
कार्तिक 09, 1927 शाक संवत्त

उत्तराखंड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 510/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विवेच

"भारत का संविधान" के अनुसार 200 वर्ष अर्थात महामहिमी राज्यपाल ने उत्तराखंड नियामक समा
द्वारा पारित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं मूत्री व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं
उपायन आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की
और यह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या 25, सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सुधाराधिकार
इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं मूत्री व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूलन एवं उपायन आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2005
(उत्तराखंड अधिनियम संख्या 25, सन् 2005)
उत्तराखंड राज्य के परिश्रेष्ठ में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं मूत्री
व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपायन आदेश, 2001) में अंतर्गत
संशोधन के लिये

अधिनियम
भारत संविधान के अन्तर्गत यह वर्तमान में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. (1) यह अधिनियम उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 
अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपनाराम आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2005 
कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखंड में लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रभुत्व होगा।

समय—समय पर यथा विशेषीकरण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 
अधिनियम, 1960 (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रूण) (जिसे आगे भूमि अधिनियम कहा गया 
है) का संशोधन:

पाल 143 का 
संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) में, “इस बारा को छोड़कर”
कोष्ठक एवं शब्दों के स्थान पर “इस धारा और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी 
विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपनाराम आदेश, 2001) 
(संशोधन) अधिनियम, 2003 जो 15-01-2004 से प्रमाणी है, द्वारा किये गए उपनियमों 
को छोड़कर” शब्द, अंक एवं कोष्ठक रखे जायेंगे।

पाल 159 का 
संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 159 में, उपधारा (3) में “लिखित और दो व्यक्तियों 
द्वारा सामील होगी“ शब्दों के स्थान पर “लिखित, दो व्यक्तियों द्वारा सामील 
तथा सामील होगी” शब्द रखे जायेंगे।

पाल 171 का 
संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित 
उपधारा रखी जायेगी, अर्थात—

“(2) किसी पुरुष भूमिपत्र या असामी के निम्नलिखित संबंधित, उपधारा(1) के 
उपनियमों के अनुसार रहते हुए उपनियमकारी हैं, अर्थात—

(क) विवाहों और पुनर्जीवन योजना प्रतिष्ठाप्त के अनुसार:

प्रतिबंध यह है कि पूर्व मूल पुत्र की विवाह और पुत्र को, जिस जितनी 
भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिष्ठाप्त के अनुसार यह अंक उपनियमकार रखे 
फिलेगा जो पूर्व मूल पुत्र को, यदि वह जीवित होता, तो मिलता;

(ख) नादा और मिति;

(ग) अविश्वासी पुत्री;

(घ) विवाहिता पुत्री;

(ङ) नादा और अविश्वासी बहिन, जो क्रमशः एक ही मूल पिता के पुत्र और पुत्री 
हो; और पूर्व मूल भाई का पुत्र, जब पूर्व मूल भाई उसी पिता का पुत्र हो 
जिसका मृत्यु पुत्र था;

(च) पुत्र की पुत्री;

(छ) मिति माती और मितामह;

(ट) पुत्री का पुत्र;

(ठ) विवाहिता बहिन;

(ऋ) सोलेली बहिन, जब उसी पिता की पुत्री हो जिसका मृत्यु पुत्र था;

(ॠ) बहिन का पुत्र;

(ऌ) सौलर्सी बहिन का पुत्र, जब सौलर्सी बहिन उसी पिता की पुत्री हो जिसका 
मृत्यु पुत्र था;

(ॡ) भाई के पुत्र का पुत्र;

(३) नाती का पुत्र;

(ग) मितामह का पीता।”

आज्ञा से,

यूद्ध रोप स्वामी,
सचिव।
In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 848 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2005 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 25 of 2005).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 28, 2005.

No. 610/Vidhayee and Sansadiya Kanya/2005
Dated Dehradun, October 31, 2005

NOTIFICATION
Miscellaneous

(Uttarakhand Act No. 25 of 2005)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttarakhand.

AN
ACT

Be it enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as amended from time to time (as applicable in the State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as the principal Act).

2. In sub-section (2) of section 143 of the Principal Act, for the words and brackets "(other than this section)", the words, figures and brackets, "[other than this section and provisions of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2003, effective from 15.01.2004]" shall be substituted.

3. In section 169 of the Principal Act, in sub-section (3), for the words "be in writing and attested by two persons" the words "be in writing, attested by two persons and registered" shall be substituted.

4. In section 171 of the Principal Act, for sub-section (2), the following subsection shall be substituted, namely:—

"(2) the following relatives of the male bhumidhar or asami are heirs subject to the provisions of sub-section (1), namely:

(a) widow and the male lineal descendant per strips:

Provided that the widow and the son of a predeceased son how low so-ever per strips shall inherit the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

(b) mother and father;

(c) unmarried daughter;

(d) married daughter;

End of Document
(e) brother and unmarried sister being respectively the son and the
daughter of the same father as the deceased; and son of a prede-
ceased brother, the predeceased brother having been the son of
the same father as the deceased;

(f) son's daughter;
(g) father's mother and father's father;
(h) daughter's son;
(i) married sister;
(j) half sister, having been the daughter of the same father as the
deceased;
(k) sister's son;
(l) half sister's son, the half sister having been the daughter of the
same father as the deceased;
(m) brother's son's son;
(n) mother's mother's son;
(o) father's father's son's son."

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.
सरकारी गजंत, उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विभागीय परिषिक्त
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखंड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अगस्त, 2006 ई0
आधिपत्य 25, 1928 शक मध्यस्थ

उत्तराखंड शासन
विभागीय एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 839/विभागीय एवं संसदीय कार्य विभाग/2006
देहरादून, 17 अगस्त, 2006

अधिसूचना

विभिन्न

"भारत का संविधान" के अनुसार 2009 के अधिनियम महासभा राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधान सभा
परिषिक्त उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जनीतारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1990) (अनुकूलन एवं
उपाध्यक्ष आदेश, 2001) (संख्या 12, सन 2006) के अनुसार 15 अगस्त, 2006 को अनुमति द्वारा की
आदेश उत्तर उत्तराखंड का अधिनियम राज्य में 12, सन 2006 के अनुसार संविधान की भूmsाथ
इस अधिसूचना होला प्रकाशित किया गया है।

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जनीतारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1990)
(अनुकूलन एवं उपाध्यक्ष आदेश, 2001) (संख्या 12, सन 2006)
(उत्तराखंड अधिनियम संख्या 12, सन 2006)
उत्तराखंड राज्य के परिषिक्त के उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जनीतारी विनाश एवं भूमि
व्यवस्था अधिनियम, 1990) (अनुकूलन एवं उपाध्यक्ष आदेश, 2001) में अनुमति
संबंध में लिये

अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्ताकर्ता वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हैः

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराञ्चल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुसूचीन एवं उपाध्याय आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2006 है।

(2) यह समस्त उत्तराञ्चल राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

भाग 3 (६-व) का लोप

2. समय-समय पर यथा संशोधित एवं उत्तराञ्चल राज्य में यथा प्रभावित उद्देश्य प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की भाग 3 का खण्ड (६-व) का लोप कर दिया जायेगा।

भाग 168-व का लोप

3. मूल अधिनियम की धारा 168-व का लोप कर दिया जायेगा।

भाग 178, 179, 180, 181 और 182 का लोप

4. मूल अधिनियम की धाराओं क्रमशः 178, 179, 180, 181 और 182 का लोप कर दिया जायेगा।

विशेष उपबंध

5. किसी भूमि के उद्देश्य के फिर संक्रमण को जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विनाश अथवा धारा 168-व के अधीन शुरु हो पाया हो एवं जिसमें राज्य सरकार के पश्चात अधिकृतों ने विशिष्ट कि नहीं की गई थी, भूमि सम्बन्धी आवेदन और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी दीस, ऐसे समय के नीति और ऐसी शर्तें से जैसा राज्य सरकार या अधिकृत किया जाये, जन्म करें विधिमान करा सकता है।

परन्तु इस उपबंध के उपबंध प्रस्तावित अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनक्षे एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नहीं रहेंगे:

परन्तु यह और कि उत्तराञ्चल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुसूचीन एवं उपाध्याय आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत 500 वर्ष नीति से अधिक भूमि क्रय करने के मामलों के निदेशानुसार अनुभूत की अनिवार्यता पूर्वनाथ नहीं रहेंगी।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2006 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 12 of 2006).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 15, 2006.
NOTIFICATION

Miscellaneous

(UTTARANCHAL ACT NO. 12 OF 2006)

Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttaranchal

An

Act

Be it enacted in the Fifty-seventh year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2006.

(2) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

2. Clause (6-A) of section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as amended from time to time and as applicable in the State of Uttaranchal (hereinafter referred to as the principal Act) shall be omitted.

3. Section 168-A of the principal Act, shall be omitted.

4. Section 178, 179, 180, 181 and 182 respectively of the principal Act shall be omitted.

5. Any transfer of fragment of land which had become void under Section 168-A as it stood before the commencement of this Act and which had not been entered in Revenue Record, in favour of State Government, shall be deemed to have been voidable and any person may get such transfer validated by depositing such fee and with in such time and in such manner as may be notified by the State Government:

Provided that the above provisions shall cease to be in force after expiry of one year from the date of commencement of this Act:

Provided further that for the purchase of land in excess of 500 Sq. mts., the permission as prescribed under the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2006 shall continue to remain in force.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH.
Secretary.

P. 319 (आर्थिक) 27 विघायी/512–2006–1004400 (कम्प्यूटर/सीटियर)
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विद्यायी परिषिक्त
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 जुलाई, 2007 ई0
आषाढ़ 25, 1929 शक सम्मान

उत्तराखण्ड शासन
vिद्यायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 1109/विद्यायी एवं संसदीय कार्य/2007
deहरादून, 16 जुलाई, 2007

अभिसूचना
विवेक
"भारत का संविधान" के अनुसार 200 के अधीन महामहिम संविधान ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विभाग एवं मूढ़ी व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश, 2001) (संसदीय) विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम सं.03, सन् 2007 के रूप में सर्व साधारण की सुनवाई इस अभिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विभाग एवं मूढ़ी व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश, 2001) (संसदीय) अधिनियम, 2007
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2007)

उत्तराखण्ड राज्य में कृप़ा मूढ़ी की अविनंतित खरीदर फरोख़ को निर्यात करने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विभाग एवं मूढ़ी व्यवस्था अधिनियम, 1950)
(अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अप्रत्याशित संशोधन करने के लिए

अधिनियम
उत्तराखंड अधिनियम, 16 जुलाई, 2007 (आयाम 25, 1929 तक सम्पन्न)

भारत गणराज्य के अद्देशमय वर्ष में उत्तराखंड विधान सभा द्वारा निर्माण अधिनियम है:—

संक्षेप नाम, प्रारंभ एवं विश्वास

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जनीवारी विनाश एवं भूगी व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपन्यासार आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) नाम निर्माण, नाम पंजीकरण, नाम परिवर्तन और छावनी परिवर्तन कोषों की दीर्घ के अनुसार आने वाले और समस्त—समस्त पर समर्पित किये जा सकने वाले प्रावधारों को छोड़कर इस प्रमुख उत्तराखंड में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

गूढ़ अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4) (1)(क) का प्रतिवर्तन

2—उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जनीवारी विनाश एवं भूगी व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपन्यासार आदेश, 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) के स्थान पर निर्दिष्ट किया गया उपधारा ऐसे दिये जायेगी।

अर्थात् —

(4)(1)(क)—“इस अधिनियम में अपने विभिन्न वर्षों में प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने स्वर्ग या परिवार के (परिवार का तालाब व एक परिवार के) अधिकारी होने या अधिकारी मुक्ति तथा भ्रमण भीतरी से है) वाहवाही योग्यता देखते ही वह धारा 129 के अधीन स्वार्थवस्त्र या उत्तराखंड में किसी काल समय का वाहिका न हो, तब तक जिस दिन अवस्था में अधिकार 250 वर्ष गिरने पर मृत्यु कर सकता है।”

मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4) (2)(क) का प्रतिवर्तन

3—(क) मूल अधिनियम की हिंदी पट्टी की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(क) में निर्दिष्ट किया गया या एक तत्त्व नकली होगी।

(क) मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(क) का तोप दिये जायेगा।

4—(1) उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जनीवारी विनाश एवं भूगी व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपन्यासार आदेश, 2001) (संशोधन) आदेश, 2007 एतदारा निर्दिष्ट किया जाता है।

(2) ऐसे निर्देशों के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकार एवं व्यवस्था संबंधी मूल अधिनियम में उपधाराओं के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन संबंधी मूल अधिनियम में उपधाराओं के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, नाना इस अधिनियम में सभी उपधारा संबंधी समस्या पर प्रभाव भी।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष, अधिवेश।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Bill, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 03 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 13, 2007.
NOTIFICATION

Miscellaneous


(Uttarakhand Act No. 03 OF 2007)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttarakhand to control the uncontrolled sale and purchase of agricultural land in the State of Uttarakhand

AN

Act

Be it enacted in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

2. In place of existing sub-section (4) (1) (a) of section 154 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (hereinafter referred to as principal Act) the following sub-section shall be substituted, namely:—

(4) (1) (a) Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, “any person for his own or on behalf of his family (which means husband, his wife, minor children, unmarried sons, unmarried daughters and dependent parents) even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttarakhand, may purchase land not exceeding 250 sq. mts. for residential purpose in his lifetime without the permission”.

3. (a) In ‘sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the Hindi version of the principal Act, the word “Naksha” shall be omitted.

(b) Sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act shall be omitted.


(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as mentioned by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done to taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पीएसआई (आरएसई) 28 विधायी / 336–2007–100+400 (कम्प्यूटर / रीजियों)।